भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 201

उत्तर देने की तारीख 20.07.2023

उद्यमी भारत-एमएसएमई दिवस

201. श्री धनुष एम. कुमार:
श्रीमती मंजुलता मंडल:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
डॉ. अमोल रामसिह कोल्हे:
श्री जी. सेल्वम:
श्री सी.एन. अन्नादुरई:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में उद्यमी भारत-एमएसएमई दिवस मनाया है और यदि हां, तो आयोजित कार्यक्रम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में, विशेषकर ओडिशा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) औद्योगिक क्षेत्र की समग्र वृद्धि दर की तुलना में लगातार धीमी वृद्धि दर दर्ज कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास में सुधार लाने के लिए कोई केन्द्रीय वित्तपोषित योजनाएं मौजूद हैं;

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एमएसएमई क्षेत्र की वृद्धि प्रतिशतता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में उद्यमियों की कुल संख्या में वृद्धि करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा आगामी तीन वर्षों के लिए निर्धारित विकास-दर प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) : जी, हां। उद्यमी भारत-एमएसएमई दिवस का आयोजन नई दिल्ली में दिनांक 27 जून, 2023 को किया गया था। इस कार्यक्रम में चैम्पियंस 2.0 पोर्टल की शुरुआत, एमएसएमई आइडिया हैकेथन 2.0 के परिणाम की घोषणा तथा महिला उद्यमियों के लिए एमएसएमई आइडिया हैकेथन 3.0 की शुरुआत, क्लस्टर परियोजनाओं तथा प्रौद्योगिकी केन्द्रों की जियो टैगिंग के लिए मोबाइल ऐप की शुरुआत तथा पीएमईजीपी लाभार्थियों को मार्जिन मनी सब्सिडी जारी करना शामिल थे। उसी दिन सिडबी, जैम, उद्योग विभाग, त्रिपुरा सरकार, सीजीटीएमएसई, एनएसटीएफडीसी, एनएसएफडीसी, एनएसआईसी तथा एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र कौशल परिषद के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) और (घ) : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से प्राप्त अद्यतन सूचना के अनुसार अखिल भारतीय विनिर्माण सकल मूल्य उत्पाद (जीवीओ)/(प्रतिशत) में विनिर्माण करने वाली एमएसएमई की सकल मूल्य उत्पाद (जीवीओ) में हिस्सेदारी निम्नानुसार थी:-

वर्ष	अखिल भारतीय विनिर्माण उत्पाद में विनिर्माण करने वाली एमएसएमई की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)
2018-19	36.90%
2019-20	36.60%
2020-21	36.90%
2021-22	36.20%

(ग): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ऋण सहायता, नए उद्यमों का विकास, औपचारिककरण, प्रौद्योगिकीय सहायता, अवसंरचना विकास, कौशल विकास तथा प्रशिक्षण और एमएसएमई को विपणन सहायता के क्षेत्रों में देशभर में एमएसएमई क्षेत्र की संवृद्धि और विकास के लिए विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन करता है। इन स्कीमों/कार्यक्रमों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीटीएमएसई), सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), नवोन्मेष, ग्रामोद्योग और उद्यमिता संवर्धन स्कीम (एस्पायर), उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), खरीद और विपणन सहायता स्कीम (पीएमएस) तथा राष्ट्रीय अ.जा./अ.ज.जा. हब (एनएसएसएच) शामिल हैं।

देशभर में एमएसएमई को सहयोग प्रदान करने के लिए सरकार ने हाल ही में कई पहलें की हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. एमएसएमई सहित व्यवसाय के लिए 5 लाख करोड़ रुपए की आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी (ईसीएलजीएस) स्कीम।
ii. एमएसएमई आत्मनिर्भर भारत फंड के जरिए 50,000 करोड़ रुपये का इक्विटी समावेशन।
iii. एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नए संशोधित मानदंड।
iv. 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं होगी।
v. एमएसएमई की शिकायतों के समाधान और हैंडहोल्डिंग सहित ई-गवर्नेंस के कई पहलुओं को शामिल करने के लिए जून, 2020 में एक ऑनलाइन पोर्टल "चैंपियंस" का शुभारंभ किया गया है।
vi. खुदरा और थोक व्यापारियों का दिनांक 02 जुलाई, 2021 से एमएसएमई के रूप में समावेशन।
vii. एमएसएमई के स्तरोन्नयन के मामले में 3 वर्ष के लिए गैर-कर लाभों का विस्तार किया गया।
viii. 5 वर्षों के लिए 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एमएसएमई के कार्यनिष्पादन में संवृद्धि और गतिवर्धन (रैम्प) कार्यक्रम की शुरुआत।

(ङ) और (च) : दिनांक 01.07.2020 को शुरू किया गया उद्यम पंजीकरण ऑनलाइन, नि:शुल्क, कागजरहित और पंजीकरण करने वालों द्वारा दी गई स्व-घोषित सूचना पर आधारित है। सरकारी स्कीमों/कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक उद्यम स्वयं को https://udyamregistration.gov.in लिंक से उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत कर सकते हैं।

एमएसएमई मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय सभी स्टेकहोल्डरों की भागीदारी बढ़ाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के एमएसएमई/औद्योगिक विभागों तथा अन्य एमएसएमई स्टेकहोल्डरों के साथ सहयोग करके उद्यम पंजीकरण और सरकारी स्कीमों/कार्यक्रमों के लाभों से अवगत कराने के लिए प्रत्यक्ष कार्यशालाओं, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विभिन्न जागरुकता अभियानों का आयोजन करते हैं।

एमएसएमई मंत्रालय ने उद्यम पोर्टल पर उद्यमों के पंजीकरण को गति प्रदान करने के लिए अपने क्षेत्रीय नेटवर्क तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के माध्यम से विगत में कई विशेष पहलें की थीं तथा जिसके परिणामस्वरूप उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) पर अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों का पंजीकरण सहित कुल एमएसएमई पंजीकरण 2.0 करोड़ की सीमा को पार कर गया है।

****